

रामप्रताप बनाम सरकार  
प्रकरण संख्या 139/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20.3.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। स्टेट जबाब प्राप्त हुआ। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक, फोटोप्रति जनआधारकार्ड, पैनकार्ड, आधारकार्ड आदि से जाहिर होता है कि वादी का सही नाम रामप्रताप पुत्र सुरजाराम है। अतः वाद वादी आशिक डिक्री करते हुए चक 33 आरडब्ल्युडी के खाता नम्बर 54/71 पं० नं० 35/51 (62) किला नम्बर 21/2,22 ता 25 की 01. 240 है० अनकमाण्ड पं० नं० 35/52 (65) किला नम्बर 1/2,2 ता 9,10/2,11/2,12 ता 15 की 03.720 है० अनकमाण्ड पं० नं० 35/59 (63) किला नम्बर 21 की 00.253 है० अनकमाण्ड पं० नं० 35/60 (64) किला नम्बर 1,10,11 की 00.759 है० अनकमाण्ड - 05.972 है। सांझा खाता की भूमि में दर्ज वादी का नाम प्रताप पुत्र सुरजाराम के स्थान पर रामप्रताप पुत्र सुरजाराम दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p>	

आदेश आज दिनांक 20.3.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं  
सुपरान्ड अधिकारी  
राजनास

